भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 903

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2023

एमएसएमई की स्थिति

903. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या और पिछले पांच वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष पंजीकरण में वृद्धि/कमी का वर्ष-वार और राज्य/वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उस पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लंबित भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : दिनांक 04.12.2023 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार इसके आरंभ की तिथि 01.07.2020 से लेकर दिनांक 04.12.2023 तक देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 3,16,05,581 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम सहित) है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : दिनांक 04.12.2023 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार इसके आरंभ की तिथि 01.07.2020 से लेकर दिनांक 04.12.2023 तक देश में कुल पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या 1,17,36,406 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम सहित) है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम और उस पर किए गए व्यय निम्नानुसार हैं-

i. दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण" ।
ii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण हेतु दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
iii. एमएसएमई में स्तरोन्नयन परिवर्तन की स्थिति के लिए दिनांक 18.10.2022 से गैर-कर लाभ को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है।
iv. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभों से सहायता लेने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है।

(घ) : एमएसएमई क्षेत्र को लंबित भुगतानों के मामलों हल हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लंबित भुगतानों के मामले निपटाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2017 को माल एवं सेवा के क्रेताओं (उपयोगकर्ताओं) से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया राशि की शकायतें करने और उनकी निगरानी करने हेतु 'समाधान पोर्टल' की शुरुआत की है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से लंबित भुगतानों संबंधी मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु अधिक से अधिक एमएसईएफसी स्थापित करने का अनुरोध किया है। सभी तक दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और पंश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी स्थापित करने सहित 157 एमएसईएफसी स्थापित किए जा चुके हैं।
- एमएसएमई मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के पश्चात एमएसएमई की केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बकाया और मासिक भुगतान की सूचना देने हेतु दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के अंदर विशेष उप-पोर्टल सृजित किया।
- भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक टर्नओवर वाली सीपीएसई और सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), जोकि बहुसंख्य वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई को व्यापार प्राप्तियों में छूट सुविधा प्रदान करने का एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, पर स्वयं को शामिल रहने के भी निर्देश दिए हैं।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल व सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने वाली कंपनियां जिन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यमों को माल एवं सेवा के भुगतान की स्वीकृति की तिथि या मानद स्वीकृति की तिथि से 45 दिन से अधिक हो गए हैं, को भुगतान की बकाया राशि और बिलंब के कारणों का हवाला देते हुए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को अर्धवार्षिक विवरणी जमा कराने की भी आवश्यकता होगी।
- आयकर अधिनियम की धारा 43बी के तहत भुगतानों पर किए गए व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब एमएसएमई को भुगतान वास्तव में किया गया हो।

******

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 903, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर आरंभ (01.07.2020) से लेकर दिनांक 04.12.2023 तक कुल पंजीकृत एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) का राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1816	2950	3888	3737	12391
आंध्र प्रदेश	65174	147374	245795	678886	1137229
अरुणाचल प्रदेश	727	2257	6954	5648	15586
असम	17167	72167	133471	231190	453995
बिहार	90146	221199	323785	1097102	1732232
चंडीगढ़	5749	9525	10112	13682	39068
छत्तीसगढ	33009	68717	108640	293073	503439
दिल्ली	89472	134679	178939	226746	629836
गोवा	6041	8615	15537	18522	48715
गुजरात	247109	398693	524052	772286	1942140
हरियाणा	102915	179530	237031	317955	837431
हिमाचल प्रदेश	12810	26865	47255	45835	132765
जम्मू और कश्मीर	26464	74470	104070	166706	371710
झारखंड	43004	83063	142422	365378	633867
कर्नाटक	152269	314801	423442	676696	1567208
केरल	71903	117907	180785	357445	728040
लद्दाख	731	2304	3211	3491	9737
लक्षद्वीप	38	207	334	153	732
मध्य प्रदेश	111717	245971	844541	899311	2101540
महाराष्ट्र	647654	974274	1218639	1663652	4504219
मणिपुर	10407	13729	21283	31928	77347
मेघालय	695	2228	6676	10158	19757
मिजोरम	1120	3547	7866	13207	25740
नागालैंड	712	3320	7314	20478	31824
ओडिशा	49442	105956	172068	444894	772360
पुदुचेरी	3867	8226	11572	24110	47775
पंजाब	100867	182781	269958	361488	915094
राजस्थान	235706	393131	519696	673268	1821801
सिक्किम	347	1772	3151	4799	10069
तमिलनाडु	312149	541307	731753	1119887	2705096
तेलंगाना	97857	161836	232221	681749	1173663
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3082	4199	5131	6155	18567
त्रिपुरा	1688	6719	16626	141602	166635
उत्तर प्रदेश	217569	413657	1471297	1400717	3503240
उत्तराखंड	22612	49656	73252	118255	263775
पश्चिम बंगाल	63509	170361	279412	2137676	2650958
कुल	**2847544**	**5147993**	**8582179**	**15027865**	**31605581**

अनुबंध-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 903, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2023 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर आरंभ (01.07.2020) से दिनांक 04.12.2023 तक कुल पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यम और यूएपी पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3184
आंध्र प्रदेश	553003
अरुणाचल प्रदेश	6799
असम	136255
बिहार	882231
चंडीगढ़	7504
छत्तीसगढ	205522
दिल्ली	139519
गोवा	13981
गुजरात	476328
हरियाणा	202718
हिमाचल प्रदेश	25248
जम्मू और कश्मीर	75210
झारखंड	290312
कर्नाटक	517726
केरल	332032
लद्दाख	1901
लक्षद्वीप	107
मध्य प्रदेश	837165
महाराष्ट्र	1338925
मणिपुर	41955
मेघालय	7956
मिजोरम	15983
नागालैंड	17734
ओडिशा	330426
पुदुचेरी	20719
पंजाब	235420
राजस्थान	398079
सिक्किम	3611
तमिलनाडु	990165
तेलंगाना	506171
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4218
त्रिपुरा	124199
उत्तर प्रदेश	360009
उत्तराखंड	820461
पश्चिम बंगाल	1813630
कुल	**11736406**